


परकारों एवं
अदि के हस्ताक्षर
नीचकें

216

92

चावात्म श्रीमान् राजस्व मण्डल बोर्ड च्या लिखर , द्वारा
छण्ड पो 0 रोवा, जिला रोवा न.0901



30/-

RS 380-11/16

आधिकारिकतापत्र विनं 25/16
जि.हं.डा.पु.र.पु.त.

29.8.16

महेश आफ कोर्ट
राजस्व मंत्रालय
(सिस्टम बोर्ड) रोवा

- 1- राजभानु पटेल
- 2- महेश पटेल
- 3- सुरेश प्रताप पटेल
- 4- महेन्द्र कुमार पटेल, कारो के पिता राजभानु पटेल त.नी ता.0 रोजगवा
जना तौर, तखील मज्जि, जिला रोवा न.0901 - निगरानी कार्यालय

जान

- 1- जे.जी. उर्फ दुर्गीच्या पत्नी राजभानु ता.0 रोजगवा, जना तौर
तखील मज्जि, जिला रोवा न.0901
- 2- शा.नी देवी पत्नी राम प्रताप पुत्री राजभानु ता.0 टनयन (अधिका)
जना तौर, तखील मज्जि, जिला रोवा न.0901
- 3- पुनी पत्नी विनायक प्रताप पुत्री राजभानु ता.0 फा.रु. जना
ता.नुर तखील मज्जि, जिला रोवा न.0901
- 4 - सुता तन्तो.रिधा वेवा पत्नी राजभानु,
- 5 - शैला दीन तनय अयोध्या प्रताप
- 6 - हुज्जाल तनय सुतारे,
- 7 - अक्षय कुमार तनय कौशल प्रताप
- 8 - राज कुमार तनय कौशल प्रताप
- 9 - अन्त कुमार तनय कौशल प्रताप
- 10 - सुता प्रवीण कुमारा वेवा कौशल प्रताप

महेन्द्र कुमार पटेल

- 11- केशव प्रसाद तनय हीरालाल,
 12- कौलाश प्रसाद तनय हीरालाल
 13- मुसु परगिया वैवा हीरालाल
 14- सुरज वलिया पुनी राजभान
 15- तेजभान तनय रमेश्वर,
 16- रघुपति तनय भगवत - मृतक, वारिखान-
 अ- हर प्रसाद तनय भगवत
 ब- बुखेन तनय भगवत
 स- अचेलाल तनय भगवत
 17- रघुनाथ- मृतक वारिखान"-
 18- छोटेलाल तनय रघुनाथ, सभी साठ रजिगवा, तखील मउंज
 जिला रीवा म०प्र० ----- गैर निगरानी कर्तागण

निगरानी विरुद्ध अनुवि भागीय अधिकारी मउंज द्वारा

वारित आदेशा दि०-17-5-16 जरिये क्र० क्र० -
 एवं अपर कलेक्टर के प्र० क्र० 8/127/15-16 दि० 27/7/16
 177 / र० 8-09 अन्तर्गत धारा - 50 म०प्र०

भूरा० त० 1959 ई।

मान्यवर,

: - प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

1- अनुवि भागीय अधिकारी मउंज के न्यायालय में गैर निगरानी कर्ता
 गण द्वारा अपील प्रस्तुत करने के पूर्व ही अपील के रेस्पा० क्र०-17, 18, मृत
 रहे, लेकिन उनको प्रकरण में पक्षकार बनाया गया, जिस पर निगरानी कर्ता
 द्वारा आपीत्त किये जाने पर, गैर निगरानी कर्ता अपील गण ने रेस्पा०
 क्र०-17, 18, के वारिखों को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का आवेदन
 दि०-12-7-11 को प्रकरण में पेश किया गया, जिस आवेदन में मृतक
 रेस्पा० क्र०-17, 18, के सभी वारिखोंका नाम अंकित नहीं किये जाने पर

मोहन कुमार पटेल

(92)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R.5380-II/16..... जिला-..... रीवा.....

वृजमान पटेल विरुद्ध छाटकी इफ पुर्णविय

(1)	(2)	(3)
16-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... शिवतन्वन सिंह..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला..... रीवा..... के प्रकरण क्रमांक..... 08/31-27/15-16..... में पारित आदेश दिनांक..... 27.03.16..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..... 29.03.19..... को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

महेन्द्रकुमार पटेल